

14 कायदा 162 (देखें अभिलेख हरतक 194 'क' का नियम 129)

ता. आदेश पत्रक संख्या

केंद्र का प्रकार 39/2016-17

जिला सूबेी सत्र 210

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्यवाही का नाम
में दिनांकी तारीख सहित

26/9/16

आजीव स्वयं बैंक लोण
शाखा की ओर से अधिवक्ता ने उपपत्रित होकर मारथना पत्र दाखिल किये हैं कि
नित्याम देनदार श्री पुशिशी ए. वसुदेव
पिता श्री पोपुल वसुदेव
प्राण कखा पो कखा
शाना लोण के विरुद्ध उपान्त में लिखित बैंक ऋण बाकी है उनके
विरुद्ध नित्याम पत्र बांद दायर कर वसूली किया जाय। बैंक की ओर से कोर्ट की
माथि का स्टाम्प 50 का दायर किया गया है जो अभिलेख के
साथ संलग्न है। उपर्युक्त
साथ से मैं सहमत हूँ। नित्याम देनदार द्वारा 7 पी0डी0आर0 एक्ट के अन्तर्गत
नोटिस निर्गत करें तथा अभिलेख दिनांक 26/10/16 को प्रस्तुत करें।
लेखापित एवं सत्यापित

कुल नकद

63337.00

C.Fe-39602.00

P.Fe-252.00

कुल:- 67,322.00

नित्याम पत्र पदाधिकारी
खैती।

नित्याम पत्र पदाधिकारी
खैती।

26/10/16

नोबिस लाम्बिला अजय दिनांक

26/11/16

26/11/16 का 2का निष्पत्ती

26/12/16

नोबिस लाम्बिला अजय दिनांक

23/1/17

23/1/17 का 2का निष्पत्ती

23/2/17

नोबिस लाम्बिला अजय दिनांक

23/2/17 का 2का निष्पत्ती

23/11/17

23/11/17


23/11/17

नोरिस तामेला अपरा
दिनांक 23/11/17 को

नोरिस तामेला अपरा
दिनांक 23/12/17 को

11/8/20

अभिलेख उपस्थापित / देवदत्त को
राशि बसुली हेतु नोरिस निर्गत करें।
अभिलेख दिनांक 18/8/20 को रखें।



निवासी पदा

23/8/20

अभिलेख उपस्थापित / बैंक द्वारा
उत्प्रेक्षित प्राप्त। बैंक द्वारा उत्प्रेक्षित किया
गया है कि देवदत्त (श्री) (हेमेश) द्वारा
67322 - 00 अकाउंट नंबर पर 10000/-
रुपये जमा थे। अब इन 10000/-
रुपये को बैंक से वापस ले लिया गया है।

अब बैंक अकाउंट पर नो नोटा
का बाद ही बैंक को समाप्त किया जाना
है। उक्त राशि अकाउंट में जमा है।
इसमें देवदत्त अभिलेख में जमा है।

उपस्थापित / उपस्थापित।



निलाम प्रशासिका
अकाउंट प्रशासिका
रुपये



निलाम प्रशासिका
अकाउंट प्रशासिका
रुपये